EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB. SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 627—631

Dated 17-4-93

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

अधिसूचना

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1993

सा. का. नि. 196:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कम्पनी विधि बोर्ड में स्टाफ कार ड्राइवर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) :—इन नियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी विधि बोर्ड (स्टाफ कार ड्राइवर) भर्ती नियम, 1992 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त/उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता:—वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
स्टाफ कार ड्राइवर	2* (1992) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित अननुसचिवीय)	950-20-1150-द. रो.-25-1500 रुपये	लागू नहीं होता	नहीं	25 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के 25 वर्ष शिथिल कर के 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। ऐसे पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति रोजगार-कार्यालयों के माध्यम से की जाती है, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होती जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा जाता है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति : (पुष्टि संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए) 1. सचिव, कम्पनी विधि बोर्ड --अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन) कम्पनी कार्य विभाग --सदस्य 3. अन्य विभाग का एक अधिकारी --सदस्य	लागू नहीं होता

[फाइल संख्या ए-12018/1/91--प्रशा.-1]
उमेश कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 22nd March, 1993

G.S.R. 196.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver in the Company Law Board, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Company Law Board (Staff Car Driver) Recruitment Rules, 1992.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc. The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these dules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay
1	2	3	4
Staff Car Driver	2* (1992) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted, non-Ministerial).	Rs. 950-20-1150-EB-25-1500.

Whether selection post or Non-Selection post	Whether benefit of added years of services admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruitment
5	6	7
Not applicable	No	Not exceeding 25 years, relaxable for Government servants upto the age of 40 years in accordance with the instructions of the Central Government issued from time to time. Note : In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange are asked to submit the names.

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion	Period of probation, if any	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion/ deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
8	9	10	11
Essential 1. Possessing a valid driving licence for motor cars; 2. Knowledge of motor mechanism and be capable of removing minor defects in motor vehicle. 3. Experience of driving of a motor car for at least three years. Desirable: (i) A pass in the 8th Standard (ii) Three year's service as Home Guard/ Civil Defence Volunteer. Note :— The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidate belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two years	Transfer on deputation/ re-employment/transfer failing which by direct recruitment

In case of recruitment by promotion/deputation/ transfer grades from which promotion/ deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Transfer on deputation/transfer :— From amongst the regular Despatch Rider (Group 'C' and Group 'D') employees in the Company Law Board/Department of Company Affairs who possess valid Driving Licence for motor cars on the basis of a driving test to assess the competence to drive motor cars failing which from officials holding the post of Despatch Rider on regular basis or regular Group 'D' employees in other Ministries of the Central Government who fulfil the necessary qualifications as mentioned in column 8. For Ex-servicemen Transfer on deputation/re-employment : The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons who would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. (The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation cases) 1. Secretary, Company Law Board —Chairman 2. Under Secretary (Administration) Department of Company Affairs. —Member 3. One Officer from other Department —Member	Not applicable.

[File No. A-12018/1/91-Admn. II]

UMESH KUMAR, Under Secy.

MGIPRRND—804-L &CA|93—Sec.VII—11-6-93—100

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3—SUB-SEC. (i)

Appearing on Page No. 771—782

Dated 1-5-99

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF LAW JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(कंपनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1999

सा. का. नि. 128 —राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी विधि बोर्ड में समूह "ख" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी विधि बोर्ड (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1999 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :—वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है; विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए, जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम, 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1. अनुभाग अधिकारी	1* (1999) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" राजपत्रित, अनुसचिवीय	6500-200-10500 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1219 LJ ४०A/99—1

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत किए गए व्यक्तियों के लिये दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति : (1) केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी — (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने 5500-9000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने 5000-8000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर छह वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास प्रशासन/स्थापन से संबंधित विषयों में दो वर्ष का अनुभव है। (2) बाह्य व्यक्तियों के साथ-साथ ऐसे विभागीय सहायक के संबंध में भी, जिसने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है, विचार किया जाएगा। यदि उस पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन कर लिया जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
लागू नहीं होता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है

1	2	3	4	5	6	7
2. निजी सचिव	9* (1999) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", राजपत्रित अननुसचिवीय	6500-200-10500 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	[illegible]

11	12
10 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ; जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । 90 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	प्रोन्नति : 5500-9000 रु० के वेतनमान में वैयक्तिक सहायक, जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण :—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 5500-9000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास आशुलिपि कार्य (अंग्रेजी/हिन्दी) में पांच वर्ष का अनुभव है । (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे; प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13	14
प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति 1. सदस्य, कंपनी विधि बोर्ड —अध्यक्ष 2. सचिव, कंपनी विधि बोर्ड —सदस्य 3. कंपनी कार्य विभाग में उप सचिव/निदेशक की पंक्ति का एक अधिकारी —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1	2	3	4	5	6	7
5. वैयक्तिक सहायक	1* (1999) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", अराजपत्रित, अनुसचिवीय	5500-175-9000 रु	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

11	12
प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति : 5000-8000 रु. के वेतनमान में ऐसा आशुलिपिक श्रेणी—II जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण :—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति :— केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 5000-8000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने 4500-7000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर छह वर्ष नियमित सेवा की है ; और (ख) जिनके पास आशुलिपि कार्य (अंग्रेजी/हिन्दी) में तीन वर्ष का अनुभव है। (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13	14
प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति 1. सदस्य, कंपनी विधि बोर्ड —अध्यक्ष 2. सचिव, कंपनी विधि बोर्ड —सदस्य 3. कंपनी कार्य विभाग में उप सचिव/निदेशक की पंक्ति का एक अधिकारी —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1	2	3	4	5	6	7
4. ज्येष्ठ तकनीकी सहायक	1* (1999) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", अराजपत्रित, अनुसचिवीय	5500-175-9000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति :— केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 5000—8000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने 4500-7000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर छह वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य। (ii) सांख्यिकीय/प्रशासनिक मामलों में दो वर्ष का अनुभव। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13	14
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1	2	3	4	5	6	7
5. ज्येष्ठ विधि सहायक	4* (1999) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", अराजपत्रित, अनुसचिवीय	5500-175-9000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति :— केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 5000-8000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने 4500-7000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर छह वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है :— (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या समतुल्य। (ii) विधिक/कंपनी विधि मामलों में संबंधित दो वर्ष का अनुभव। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13	14
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[सं. ए-12018/1/94-प्रशा. I]

सतपाल, अवर सचिव

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 20th April, 1999

G.S.R. 128.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group "B" posts in the Company Law Board, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Company Law Board (Group "B" Posts) Recruitment Rules, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person.—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum-seniority	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
1. Section Officer	1*(1999)	General Central Service Group 'B' Gazetted Ministerial	Rs. 6500-200-10500	Not applicable	Not applicable

*Subject to variation dependent on work load.

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for promotees	Promotion/deputation

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption—grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Promotion/deputation (1) Officers under the Central Government ; (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 3 years' regular service in posts in the scale of Rs. 5500-9000 or equivalent; or (iii) with 6 years' regular service in posts in the scale of Rs. 5000-8000 or equivalent; and (b) possessing two years' experience in matters relating to administration/establishment.	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary for promotion/deputation.

12

(2) The Departmental Assistant with 6 years regular service in the grade will also be considered along with outsiders. In case he/she is selected for appointment to the post same will be treated as having been filled by promotion.

(The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

1	2	3	4	5	6
2. Private Secretary	9*(1999)	General Central Service Group 'B' Gazetted, Ministerial	Rs. 6500-200-10500	Non Selection	Not applicable

*Subject to variation dependent on workload.

7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Nil	10% by Promotion failing which by deputation. 90% by deputation.

12	13	14
Promotion; Personal Assistant in the pay scale of Rs. 5500-9000 with three years regular service in the grade. Note ; Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their	Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion : (1) Member, Company Law Board—Chairman (2) Secretary, Company Law Board—Member (3) An officer of the rank of Deputy Secretary/Director, Department of Company Affairs—Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

13

12
probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.
Deputation :
Officers under the Central Government:
(a)(i) holding analogous posts on regular basis; or
(ii) with three years' regular service in posts in the scale of Rs. 5500—9000 or equivalent; and
(b) possessing five years' experience in stenographic work (English/Hindi).
(The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

1	2	3	4	5	6
3. Personal Assistant	1*(1999)	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted Ministerial	Rs. 5500-175-9000	Non-selection	Not applicable

*Subject to variation dependent on workload.

7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for promotees	Promotion failing which by deputation

12	13	14
Promotion: Stenographer Grade II in the pay scale of Rs. 5000—8000 with three years regular service in the grade.	Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion: (1) Member, Company Law Board—Chairman	Consultation with Union Public Service Commission not necessry.

12	13
Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Deputation: Officers under the Central Government: (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with three years regular service in posts in the scale of Rs. 5000—8000 or equivalent; and (iii) with six years' regular service in posts in the scale of Rs. 4500—7000 or equivalent; and (b) possessing three years' experience in stenographic work (English/Hindi). (The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)	(2) Secretary, Company Law Board—Member (3) An officer of the rank of Deputy Secretary/Director, Department of Company Affairs —Member.

1	2	3	4	5	6
4. Senior Technical Assistant	1*(1999)	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted Ministerial	Rs. 5500—175—9000	Not applicable	Not applicable

*Subject to variation dependent on workload

7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation

15

12	13	14
Deputation: Officers under the Central Government: (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 3 years' regular service in posts in the scale of Rs. 5000—8000 or equivalent;or (iii) with 6 years' regular service in posts in the scale of Rs. 4500—7000 or equivalent; and (b) possessing the following educational qualifications and experience; (i) Degree of a recognised university or equivalent. (ii) Two years' experience in Statistical/Administrative matters. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this apppointment in the same of some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

1	2	3	4	5	6
5. Senior Legal Assistant	4*(1999)	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted Ministerial	Rs. 5500—175—9000	Not applicable	Not applicable

*Subject to variation dependent on work load.

7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation

12	13	14
Deputation: Officers under the Central Government: (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 3 years' regular service in posts in the scale of Rs. 5000—8000 or equivalent; or (iii) with 6 years' regular service in posts in the scale of Rs. 4500—7000 or equivalent ; and (b) possessing the following educational qualifications and experience;	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary:

12

(i) Degree in law from a recognised university or equivalent;

(ii) two years' experience in dealing with legal/company law matters.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

[No. A-12018/1/94-Admn.I]

SAT PAL, Under Secy.

MGIPRRND—1219 LJ&CA/99—II-D—13-5-90—200.

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।
11	12
75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 25 प्रतिशत स्थानान्तरण द्वारा उसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	स्थानान्तरण: कम्पनी कार्य विभाग, इसके क्षेत्र कार्यालय और केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों से चौकीदार और चपरासियों के स्थानान्तरण द्वारा।
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
1. अवर सचिव—अध्यक्ष 2. अनुभाग अधिकारी—सदस्य 3. अनुभाग अधिकारी—सदस्य	लागू नहीं होता
—यथोपरि—	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
3. जमादार	*4 (1992) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "घ" अराजपत्रित अनुसचिवीय	775-12-955 द.रो. 14-1025रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रोन्नति कम्पनी विधि बोर्ड में कार्य कर रहे ऐसे चपरासी/चौकीदार की प्रोन्नति जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण कम्पनी कार्य विभाग में इसके क्षेत्र कार्यालय और केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों में जमादार/दफतरी और चपरासी/चौकीदार की प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण परन्तु यह तब जब कि सम्बद्ध चपरासियों/चौकिदारों ने उस श्रेणी में कम से कम 3 वर्ष नियमित सेवा की हो। प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13	14
समूह "घ" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. अवर सचिव—अध्यक्ष 2. अनुभाग अधिकारी—सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. 12018/1/91-प्रशा. 1]
उमेश कुमार, अवर सचिव

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 1992

G.S.R. 520.—In exercise of the powers conferred by the Proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'D' posts in the Company Law Board, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Company Law Board (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1992.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scales of pay :—The number of the posts, their classification and the scales of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, and other qualifications etc. :—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification :—No Person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Liability of persons appointed as peons to undergo training as Home Guards.—Notwithstanding anything contained in these rules, every person appointed as a peon under these rules shall undergo training as a Home Guard for a period of three years :

Provided that the Commandant General Home Guards may, having regard to the performance of and standards of training achieved by any person during the period of training reduce such period to two years for reasons to be recorded in writing.

Provided further that a physically handicapped person appointed as a peon under these rules shall be exempted from undergoing the training as a Home Guard.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or Non-Selection post
1	2	3	4	5
1. Peon	*9 (1992) *(Subject to variation dependent on work load).	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 750-12-870-EB-14-940.	Not applicable.
2. Chowkidar	*1 (1992) *(Subject to variation dependent on work load).	General Central Service Group 'D', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 750-12-870-EB-14-940.	Not applicable.

Whether benefit of added years of services admissible under Rule 30 of Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.	Age limit for direct recruitment	Educational and other qualification required for direct recruits
6	7	8
Not applicable.	18 to 25 years : (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by Central Government). NOTE : (The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the name.	ESSENTIAL : 8th Class pass from a recognised school. DESIRABLE : Training in basic and refresher courses in Home Guard and Civil Defence.
Not applicable.	18 to 25 years. (Relaxable for Government servant upto 35 years in accordance with instructions or orders issued by Central Government). NOTE : (The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment Exchanges are asked to submit the name.	ESSENTIAL : 8th class Pass DESIRABLE : Training in basic and refresher courses in Home Gaurd and Civil Defence.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion	Period of probation if any	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion/deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
9	10	11
Not applicable	2 years of direct recruitment only.	75% by direct recruitment and 25% by transfer failing which by direct recruitment.
Not applicable	2 years	By direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
12	13	14
TRANSFER : By transfer of Chowkidar and peons from the Department of Company Affairs, its field offices and other Central Government Offices.	1. Under Secretary — Chairman 2. Section Officer — Member 3. Section Officer — Member	Not applicable
Not applicable	1. Under Secretary — Chairman 2. Section Officer — Member 3. Section Officer — Member	Not applicable

1	2	3	4
3. Jamadar	*4(1992) *(Subject to variation dependant on the work load).	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 775-12-955-EB-14-1025.

5	6	7	8
Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	11
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by transfer on deputation.

12	13	14
PROMOTION : Promotion of Peon/Chowkidars working in the Company Law Board who have rendered at least three years regular service in that grade.	Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of : 1. Under Secretary — Chairman 2. Section Officer — Member	Not applicable.
Transfer on deputation : Transfer on deputation of Jamadars/Daftries and Peons/Chowkidars in the Department of Company Affairs, its field offices and other Central Government offices, provided the concerned Peons/Chowkidars have rendered at least 3 years regular service in that grade. The period of deputation shall ordinarily not exceed three years.		

[F. No. A-12018/1/91-Admn.I]

UMESH KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1992

सा. का. नि. 541.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्वेषण और रजिस्ट्रीकरण महानिदेशालय कार्यालय (कम्पनी कार्य विभाग) समूह "ग" और "घ" पद भर्ती नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अन्वेषण और रजिस्ट्रीकरण महानिदेशालय कार्यालय (कम्पनी कार्य विभाग) समूह "ग" और "घ" पद भर्ती संशोधन नियम, 1992 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अन्वेषण और रजिस्ट्रीकरण महानिदेशालय कार्यालय (कम्पनी कार्य विभाग) समूह "ग" और "घ" पद भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची में :—

(क) निम्न श्रेणी लिपिक से संबंधित क्रम संख्या 6 के सामने स्तंभ 2 में "7" अंक के स्थान पर "6" अंक और "1987" अंकों के स्थान पर "1992" अंक रखे जाएंगे।

(ख) क्रम संख्या 8 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएगी अर्थात् :—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7
9. स्टाफ कार चालक	1*(एक) (1992) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित) (अननुसचिविय)	950-20-1150-द.रो.-25-1500रु.	लागू नहीं होता	नहीं	23 से 30 वर्ष के बीच : टिप्पण :— (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 10 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। (2) आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। ऐसे पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती है, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8	9	10
आवश्यक : 1. मोटर कार चलाने का अनुभव जो तीन वर्ष से कम न हो। 2. उसे मोटर मिस्त्री का ज्ञान हो और वह मोटरयानों की छोटी खराबियों को दूर करने में समर्थ हो। 3. उसके पास मोटर कार के लिए विधि मान्य चालन अनुज्ञप्ति हो। वांछनीय :—8वें स्तर में उत्तीर्ण का प्रमाणपत्र।	लागू नहीं होता	दो वर्ष (सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए)

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SECTION 3, SUB SEC. (i)

Appearing on Page No. : 126—127

Dated : 19-1-2002

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2002

सा.का.नि. 18.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी विधि बोर्ड (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1994 का/और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी विधि बोर्ड (समूह "ग" पद) (संशोधन) भर्ती नियम 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी विधि बोर्ड (समूह "ग" पद) भर्ती नियम 1994 की अनुसूची में, स्तंभ-II में अवर श्रेणी लिपिक के पद से संबंधित विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

(i) 90 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।

(ii) 10 प्रतिशत रिक्तियां कंपनी विधि बोर्ड में कार्यरत समूह "घ" के ऐसे कर्मचारियों में से ज्येष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरी जाएगी, जिनके पास मैट्रिक या समतुल्य अर्हताएं हैं और जिन्होंने आठ वर्ष से अन्यून अर्हक सेवा पूरी की हो। जो या विभागीय परीक्षा को दो वर्ष के अन्दर अर्हित करनी होगी जिसके न हो सकने पर उन्हें समूह "घ" पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा। उनको, तथापि जब तक वे छह मास की अवधि में टंकण परीक्षा अर्हित नहीं कर लेते हैं तब तक वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी ।

[सं. ए-12018/1/2001-प्रशा.-I]

सतपाल, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i), सा.का.नि. 295 तारीख 8-3-1994 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2002

G. S. R. 18.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Company Law Board (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1994, namely :—

1. (1) These rules may be called the Company Law Board (Group 'C' posts) (Amendment) Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Company Law Board (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1994, in column 11 relating to the post of Lower Division Clerk for the existing entries the following entries shall be substituted, namely :—

(i) 90% by direct recruitment through the Staff Selection Commission.

(ii) 10% of vacancies shall be filled up by promotion on seniority-cum-fitness basis from amongst Group 'C' employees working in the Company Law Board who possess matriculation or equivalent qualification and have completed not less than eight years' qualifying service. Those appointed as clerk either on the basis of departmental examination or by seniority will have to qualify in typing test conducted by the Staff Selection Commmission within two years failing which they shall be liable to be reverted to Group 'D' post. They shall, however, not draw increment until they qualify in the typewriting test within a period of six months."

[No. A-12018/1/2001-Ad. I]

SAT PAL, Under Secy

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 295 dated 08-03-94.

MGIPRRND—92 LJ & CA/2002—Sec. 1—4-2-2002—200.

22

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SECTION 3. SUB SEC. (i)

Appearing on Page No. : 1421—1422

Dated : 20-7-2002

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2002

सा.का.नि. 262—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी विधि बोर्ड (समूह ग पद) भर्ती नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी विधि बोर्ड (समूह ग पद) भर्ती (दूसरा संशोधन) नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कम्पनी विधि बोर्ड (समूह 'ग' पद) (संशोधन) नियम, 2001, के नियम 1 के उप-नियम (1) में "2001" अंकों के स्थान पर "2002" अंक रखे जाएंगे।

[सं.ए-12018/1/2001-प्रशा.-I]

बी.एन. प्रसाद, अवर सचिव

टिप्पण:—मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 295 तारीख 8 मार्च, 1994 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें सा.का.नि. 18 तारीख 3 जनवरी, 2002 द्वारा संशोधन किया गया है।

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2002

G.S.R. 262.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Company Law Board (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1994, namely :—

1. (I) These rules may be called the Company Law Board (Group 'C' Posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In sub-rule (1) of rule 1 of the Company Law Board (Group 'C' Posts) (Amendment) Rules, 2001, for the figures "2001", the figures, "2002" shall be substituted.

[No. A-12018/1/2001-Ad.-I]

B.N. PRASAD, Under Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide GSR 295 dated 8th March, 1994, and amended vide GSR 18 dated 3rd January, 2002 and GSR 187 dated 10th May, 2002.

MGIPRRND—2207 LJ&CA/2002—26-8-2002—200.

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB SEC. (i)

Appearing On Page Nos. 955-965
Dated : 25-6-1994

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1994

अधिसूचना

सा.का.नि. 265.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी विधि बोर्ड के समूह 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी विधि बोर्ड (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1. अवर श्रेणी लिपिक	10* (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	950-20-1150-द.रो.-25-1500 रु.	अचयन	नहीं	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
(1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य योग्यता । (2) हिन्दी में 25 शब्द प्रतिमिनट या अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण की गति ।	हां, स्तम्भ 11 में उपदर्शित सीमा तक	दो वर्ष

टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा ।
11	12
(1) 85 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती द्वारा । (2) 10 प्रतिशत रिक्तियां ऐसे समूह "घ" कर्मचारिवृन्द में से कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाने वाली विभागीय परीक्षा में अर्हित होने के आधार पर भरी जाएगी जिनके पास मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हताएं हैं और समूह "घ" में पांच वर्ष से अन्यून नमिति सेवा की हो । इस परीक्षा की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आयु सीमा 50 वर्ष) । टिप्पण : --(क) विशिष्ट वर्ष में भरी न गई रिक्तियां अग्रनीत नहीं की जाएगी । (ख) यदि खंड (2) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक कर्मचारी उक्त परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसे कर्मचारियों की ऐसी अधिक संख्या पर पश्चात्वर्ती वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा । जिससे कि पूर्ववर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर पश्चात्वर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से पूर्व विचार किया जा सके । (3) 5 प्रतिशत रिक्तियां ज्येष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर ऐसे समूह "घ" कर्मचारिवृन्द में से भरी जाएगी जिनके पास मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हताएं हैं और जिन्होंने कम से कम आठ वर्ष की अर्हता सेवा पूरी कर ली है । लिपिक के पद पर नियुक्त व्यक्तियों को चाहे वे विभागीय परीक्षा या ज्येष्ठता के आधार पर नियुक्त हों दो वर्ष के भीतर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित टंकण परीक्षा में अर्हता प्राप्त करनी होगी, ऐसा न करने पर वे समूह "घ" पद पर प्रतिवर्तित किए जाने के दायी होंगे । तथापि वे तब तक वेतनवृद्धि नहीं प्राप्त करेंगे जब तक छह मास के भीतर टंकण परीक्षा में अर्हता प्राप्त नहीं कर लेते ।	स्तम्भ 11 में यथावर्णित

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) । 1. सचिव, कंपनी विधि बोर्ड —अध्यक्ष 2. अवर सचिव, कंपनी विधि बोर्ड —सदस्य 3. किसी अन्य विभाग से अवर सचिव के रैंक का एक अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
2. उच्च श्रेणी लिपिक	*1 1994 * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	1200-30-1560-द. रो.-40-2040 रु.	अचयन	नहीं	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	कुछ नहीं

11	12
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण	प्रोन्नति : कम्पनी विधि बोर्ड में सेवारत ऐसा अवर श्रेणी लिपिक (950–1500 रु.) जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : 1. जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या 2. ऐसा अवर श्रेणी लिपिक जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है या समतुल्य . (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. सचिव, कंपनी विधि बोर्ड —अध्यक्ष 2. अवर सचिव, कंपनी विधि बोर्ड —सदस्य 3. किसी अन्य विभाग से अवर सचिव के रैंक का एक अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
3. सहायक [redacted]	1* (1994) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित अनुसचिवीय)	1400-40-1600-50-द. रो.-60-2600 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण	प्रोन्नति : कंपनी विधि बोर्ड में सेवारत ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो सदृश पद धारण किए हुए है या जिन्होंने 1200–2040 रु. पास समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास प्रशासन, रोकड़ और लेखा के क्षेत्र में अनुभव है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति :- 1. सचिव, कंपनी विधि बोर्ड —अध्यक्ष 2. अवर सचिव, कंपनी विधि बोर्ड —सदस्य 3. किसी अन्य विभाग से अवर सचिव के रैंक का एक अधिकारी—सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1	2	3	4	5	6	7
4. आशुलिपिक श्रेणी III	1* (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	1200-30-1560-द. रो. 40-2040 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है)।	लागू नहीं होता

8	9	10
1. मैट्रिकुलेशन या समतुल्य 2. आशुलिपि (अंग्रेजी या हिन्दी) में 80 शब्द प्रति मिनट की गति	लागू नहीं होता	दो वर्ष

11	12
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती टिप्पण :—पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण पर या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तता केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण के आधार पर भरी जा सकेगी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तम्भ 9 के अधीन भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं।	लागू नहीं होता

13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) 1. सचिव, कंपनी विधि बोर्ड —अध्यक्ष 2. अवर सचिव, कंपनी विधि बोर्ड —सदस्य 3. किसी अन्य विभाग से अवर सचिव के रैंक का एक अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
5. निजी सहायक	2* (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अनुसचिवीय	1400-40-1600-50-द. रो.-60-2600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा/ स्थानांतरण द्वारा।	प्रोन्नति :—कंपनी विधि बोर्ड में सेवारत ऐसा आशुलिपिक श्रेणी-III जिसने उस श्रेणी में 1200-30-1560-द. रो.-2040 रु. के वेतनमान में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/स्थानांतरण द्वारा केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो सदृश पद धारण किए हुए हैं या ऐसे आशुलिपिक अथवा केन्द्रीय सरकार के ऐसे अन्य अधिकारी जो 1200-2040 रु. या समतुल्य वेतनमान में कार्यरत हैं और जो उस वेतनमान में कम से कम पांच वर्ष नियमित सेवा कर चुके हैं। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति 1. सचिव, कंपनी विधि बोर्ड —अध्यक्ष 2. अवर सचिव, कंपनी विधि बोर्ड —सदस्य 3. किसी अन्य विभाग से अवर सचिव के रैंक का एक अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता

[सं. ए-12018/2/92-प्रशा. I]

उमेश कुमार, अवर सचिव

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 1994

G.S.R. 295.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts in the Company Law Board, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Company Law Board (Group 'C' posts) recruitment Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts mentioned in column 1 of the Schedule annexed with these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the opertion of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

28

SCHEDULE

Name of Post	No. of posts	Classification
1	2	3
1. Lower Division Clerk	10* (1994) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.

Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
4	5	6
Rs. 950-20-1150-EB-25-1500	Non-Selection	No

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servant up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	(i) Matriculation or equivalent qualification from a recognised Board or University. (ii) A typing speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi.	Yes, to the extent indicated in column 11.	Two years.

Note :—The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission.

Method of recruitment; whether direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/transfer/deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13	14
(i) 85% by direct recruitment through Staff Selection Commission. (ii) 10% of vacancies shall be filled up from amongst the Group 'D' staff who prossess Matriculation or equivalent qualifications and have rendered	As stated in column 11	Group 'C' Departmental Committee (for considering case of confirmation) 1. Secretary, Company Law Board—Chairman 2. Under Secretary, Company Law Board —Member	Not applicable

11		13
less than five year's regular service in Group 'D' on the basis of a Departmental qualifying examination conducted by the Staff Selection Commission. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for the Scheduled Castes/Scheduled Tribes). Note : (a) Unfilled vacancies pertaining to a particular year shall not be carried over. (b) If more of such employees than the number of vacancies under clause (ii) qualify at the said examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years to that the employees qualifying at an earlier examination are considered before these who qualify at a later examination. (iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group 'D' employees working in the Company Law Board who possess matriculation or equivalent qualification and have completed not less than eight years' qualifying service. Those appointed as clerk either on the basis of departmental examination or by seniority will have to qualify in typing test conducted by the Staff Selection Commission within two years failing which they will be liable to revert to Group 'D' post. They will, however, not draw increment until they qualify in the type-writing test whthin the period of six months.		3. An officer from other Department of the rank of Under Secretary —Member

1	2	3
2. Upper Division Clerk	1* (1994) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial.

4	5	6
Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040.	Non-Selection	No

7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Nil

11	12	13	14
By promotion failing which by transfer on deputation.	Promotion : Lower Division Clerk (Rs. 950—1500) working in the Company Law Board with eight years' regular service in the grade. Transfer on Deputation : Officers of the Central Govt.,— 1. holding analogous posts on regular basis; or 2. with eight years' regular service in the grade of lower Division Clerk or equivalent. (The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation of the Central Government shall not ordinarily exceed three years).	Group 'C' Departmental Promotion Committee : 1. Secretary, Company Law Board —Chairman 2. Under Secretary, Company Law Board —Member 3. An officer from other Department of the rank of Under Secretary—Member	Not applicable

1	2	3	4
3. Assistant	1* (1994) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted Ministerial).	Rs. 1400-40-1600-50-EB-60-2600.

5	6	7	8
Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	11	12
applicable	Not applicable	Promotion failing which by transfer on deputation.	Promotion : Upper Division Clerk working in the Company Law Board with five years' regular service in the grade. Transfer on deputation : Officers of the Central Government holding analogous posts or with five years' regular service in the posts in the scale of pay of Rs. 1200-2040 or equivalent and having experience in the filed of administration, Cash and Accounts. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately proceeding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).

13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee : 1. Secretary, Company Law Board —Chairman 2. Under Secretary, Company Law Board —Member 3. An officer from other department of the rank of Under Secretary —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

1	2	3	4
4. Stenographer Grade-III	1* (1994) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040.

5	6	7
No applicable	Not applicable	18 to 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Centra. Government).

8	9	10	11
1. Matriculation or equivalent 2. A speed of 80 words per minute in Stenography (English or Hindi).	Not Applicable	Two years	Direct recruitment through Staff Selection Commission. Note : Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on transfer on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits in column 9.

12	13	14
Not Applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) 1. Secretary, Company Law Board —Chairman 2. Under Secretary, Company Law Board —Member 3. An Officer from other Department of the rank of Under Secretary—Member	Not Applicable.

1	2	3
5. Personal Assistant	2* (1994) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial.

4	5	6
Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by transfer on deputation Transfer.

12	13	14
Promotion : Stenographer Grade III working in the Company Law Board in the scale of Rs. 1200-30-1560-EB-2040 with five years Megnter service in the grade. Transfer on deputation/Transfer :— Offices of Central service Government holding analogous posts or stenographers or other Central Government officers working in the pay scale of Rs. 1200-2040 or equivalent with at least five years regular service in that scale. (Period of deputation including the period of deputation immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).	Group 'C' Departmental Promotion Committee : 1. Secretary, Company Law Board —Chairman 2. Under Secretary, Company Law Board —Member 3. An officer from other Department of the rank of Under Secretary—Member	Not applicable

[F. No. A-12018/2/92—Admn. I]

UMESH KUMAR, Under Secy.

MGIPRRND—1402 LJ&CA/94—VII—1-7-94—100.